न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी,श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर ए एस

(1)अपील संख्या 82/2015

1. चावली देवी पत्नी मदनलाल
2. कमलादेवी
3. बिरमा देवी
4. पुष्पादेवी
5. शारदा
6. सतपाल
7. कश्मीरीलाल

(क्रमांक 2 से 7) पुत्र /पुत्रियां मदनलाल

(सभी) जाति नाई निवासीगण चक 3 एसपीएम तहसील अनूपगढ हाल निवासीगण चौहलांवाली तहसील व जिला हनुमानगढ

---अपीलार्थीगण

बनाम

1. लेखराम पुत्र रंगीराम जाति नाई निवासी 3 एसपीएम तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।
2. हंसराज पुत्र रंगीराम जाति नाई निवासी 3 एसपीएम तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।
3. महावीर पुत्र रंगीराम जाति नाई निवासी चौहलांवाली तहसील व जिला हनुमानगढ।
4. सावत्री पत्नी मलुराम पुत्री रंगीराम जाति नाई निवासी कटैडा तहसील व जिला फाजिल्का (पंजाब)।
5. गुड्डी बेवा हुनताराम पुत्री रंगीराम जाति नाई निवासी धक्का बस्ती सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
6. चिड़ीया पत्नी पृथ्वीराम पुत्री रंगीराम जाति नाई निवासी 3 जेएम तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।
7. कलावती पत्नी श्योनारायण पुत्री रंगीराम जाति नाई निवासी 5 एलएम तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर ।
8. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार अनूपगढ।

14/1/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

9. मनी बेवा पृथ्वीराम जाति नाई निवासी फूसेवाला तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

10. रामजीलाल पुत्र पृथ्वीराम जाति नाई निवासी घडसाना तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर।

11. कृष्णलाल पुत्र पृथ्वीराम जाति नाई निवासी फूसेवाला तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

12. सुभाष पुत्र पृथ्वीराम जाति नाई निवासी फूसेवाला तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

13. नम्रदा पत्नी ओमप्रकाश पुत्री पृथ्वीराज जाति नाई निवासी बगीचा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

14. विद्यादेवी पत्नी कृष्णलाल पुत्री पृथ्वीराम जाति नाई निवासी बगीचा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

15. माया पत्नी महावीर प्रसाद पुत्री पृथ्वीराम जाति नाई निवासी बडोपल धांगडा तहसील व जिला हिसार हरियाणा।

16. कमला देवी पत्नी साधुराम पुत्री पृथ्वीराम जाति नाई निवासी बडोपल धांगडा तहसील व जिला हिसार हरियाणा।

———रेस्पोडेन्टान

(1)अपील संख्या 87/2015

1. चावली देवी पत्नी मदनलाल
2. कमलादेवी
3. बिरमा देवी
4. पुष्पादेवी
5. शारदा
6. सतपाल
7. कश्मीरीलाल

(2–7) पुत्र /पुत्रियां मदनलाल

(1–7) जाति नाई निवासीगण चक 3 एसपीएम तहसील अनूपगढ हाल निवासीगण चौहलांवाली तहसील व जिला हनुमानगढ

———अपीलार्थीगण

बनाम

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

1. लेखराम पुत्र रंगीराम जाति नाई निवासी 3 एसपीएम तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।
2. हंसराज पुत्र रंगीराम जाति नाई निवासी 3 एसपीएम तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।
3. महावीर पुत्र रंगीराम जाति नाई निवासी चौहलांवाली तहसील व जिला हनुमानगढ।
4. सावत्री पत्नी मलुराम पुत्री रंगीराम जाति नाई निवासी कटैडा तहसील व जिला फाजिल्का (पंजाब)।
5. गुड्डी बेवा हुनताराम पुत्री रंगीराम जाति नाई निवासी धक्का बस्ती सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
6. चिड़ीया पत्नी पृथ्वीराम पुत्री रंगीराम जाति नाई निवासी 3 जेएम तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।
7. कलावती पत्नी श्योनारायण पुत्री रंगीराम जाति नाई निवासी 5 एलएम तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर ।
8. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार अनूपगढ।
9. मनी बेवा पृथ्वीराम जाति नाई निवासी फूसेवाला तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
10. रामजीलाल पुत्र पृथ्वीराम जाति नाई निवासी घडसाना तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर।
11. कृष्णलाल पुत्र पृथ्वीराम जाति नाई निवासी फूसेवाला तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
12. सुभाष पुत्र पृथ्वीराम जाति नाई निवासी फूसेवाला तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
13. नम्रदा पत्नी ओमप्रकाश पुत्री पृथ्वीराज जाति नाई निवासी बगीचा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
14. विद्यादेवी पत्नी कृष्णलाल पुत्री पृथ्वीराम जाति नाई निवासी बगीचा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सत्यमेव जयते श्रीगंगानगर

14/7/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

15. माया पत्नी महावीर प्रसाद पुत्री पृथ्वीराम जाति नाई निवासी बडोपल धांगडा तहसील व जिला हिसार हरियाणा।
16. कमला देवी पत्नी साधुराम पुत्री पृथ्वीराम जाति नाई निवासी बडोपल धांगडा तहसील व जिला हिसार हरियाणा।

———रेस्पोडेन्टान

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज.काश्त.अधि. 1955
विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी, अनूपगढ
दिनांक 15.02.2008 एवं 04.08.2008

उपस्थिति

श्री तेजासिंह, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री सोहनलाल वर्मा अभिभाषक रेस्पों. संख्या 1, 2
श्री विनोदकुमार सींवर, अभिभाषक रेस्पो. संख्या 3 से 7, 9 से 16
श्री वेदप्रकाश शर्मा राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांकः— 14.07.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण मदनलाल आदि द्वारा उपखंड अधिकारी, अनूपगढ के न्यायालय में एक वाद रा.का.अ. की धारा 88, 53, 183 पेश करने पर उक्त वाद में प्रतिवादी द्वारा प्रा.पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रा.पत्र पेश करने पर दिनांक 15.02.2008 को उक्त प्रा.पत्र स्वीकार कर वादी खारिज कर दिया । जिसके विरूद्ध अपील संख्या 87/2015 पेश की गई है।इसी प्रकार रेखाराम आदि ने एक वाद न्यायालय उपखंड अधिकारी,अनूपगढ के समक्ष रा.का.अ.की धारा 88,188 का पेश करने पर उक्त वाद का अधी.न्यायालय ने दिनांक 04.08.2008 को करते हुए वादीगण का वाद एवं प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया गया । जिसके विरूद्ध अपील संख्या 82/2015 पेश की गई है।

अपीलार्थी द्वारा उपखंड अधिकारी, अनूपगढ के आदेश दिनांक 15.02.2008 के विरूद्ध अपील दिनांक 28.08.2015 को एवं आदेश दिनांक 04.08.2008 के विरूद्ध अपील दिनांक 14.08.2015 को प्रस्तुत हुई है। अपीले पेश होने पर अपील संख्या 82/2015 में प्रथम आदेशिका दिनांक18.08.2015 एवं अपील

14/7/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

संख्या 87/2016 में प्रथम आदेशिका दिनांक 01.09.2015 में अंकित किया है कि वकील अपीलांट द्वाराप्रस्तुत करने परे यह अपील बाद जांच पेश हुई जो धारा 96 सीपीसी के प्रा.पत्र एवं मियाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की गई ।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

उभय पक्ष की बहस सुनने के पश्चात यह उचित होगा कि धारा 96 सीपीसी के प्रा.पत्र का निस्तारण किया जाय। प्रार्थना पत्र में लिखा है कि अपीलांट के पिता मदनलाल फोत हो गया । वह कब फोत हुआ अंकित नहीं किया। अगर फोत हो गया तो कथन के समर्थन में मृत्यु प्रमाण पत्र अपरिहार्य है जो नहीं होने तथा प्रार्थना पत्र के समर्थन में कोई शपथ पत्र भी नहीं होने से एवं अपीलांट उनके विधिक वारिस का कोई सक्षम प्राधिकारी द्वारा तस्दीकशुदा सजरा नहीं होने से अपीलांट अपील पेश करने की Locus standai साबित करनेमें असफल होने से आवेदन पत्र दफा 96 सीपीसी खारिज किया जाता है, जिसकी अनुवृति कार्यवाही में तकनीकी आधार पर अपील खारिज योग्य है।

आवेदन पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम में जाहिर किया कि वकील ने पत्र डाल दिया जो उन्हें नहीं मिला। इस मोबाईल युग में निर्णय की जानकारी सात वर्ष तक न होना मानने योग्य नहीं है। अतः धारा 5 मियाद अधिनियम में पर्याप्त आधार नहीं होने से यह प्रा.पत्र भी खारिज किया जाकर अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों ही अपीलें प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी एवं मियाद के बिन्दु पर खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में शामिल की जावे।

निर्णय दिनांक 14.07.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14/7/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)